

8-6-2015

पत्रावली काज राजस्व लोक अदालत
ठाकुर सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत देवली
पर प्रस्ताव हुआ। वारी जहीर प्रेमद
व पुत्रिवारीगण की ओर से बफ़लाल
उपस्थित वारी व पुत्रिवारी को सम्मानित
की गयी। वास्तव्य प्रति अंक 124

अंक 0-88 हूँ वारे ग्राम ~~वास्तव्य~~
वारी की ओर से अतिरिक्त विकल्प
स्वीड मुदा फाराजी व पुत्रिवारी बफ़लाल
के प्रति थाता शेष के अर्थ य 44
उत्तर कर कुछ दिखे पर
कका घेने व उत्तर दिये

के बाद कही है पुनर्विवाह को
उक्त शर्त के अन्तर्गत किया जाना
आवश्यक है

अतः बाद कही है कि

किसी जातक पुनर्विवाह को अंग्रेज
काल के लिए आवश्यक किया जाता

है कि वह कही है खतबेदारों के
कालों के लिए कि शर्तें अथवा 124

अथवा 0-88 के अन्तर्गत अंग्रेज काल

तदनुसार उचित है किसी प्रकार के

अवलंबन की कोई शर्त नहीं है कि

जाती है पत्रावली के अन्तर्गत अथवा

अथवा कि कानून के अन्तर्गत

दाखिल हो

२

(मूल वाद मे डिकी)

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

उनवान

जहीर अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
-वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी मुबारकनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रामप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी मुबारकनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
3. मदन पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी मुबारकनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
4. प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी मुबारकनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
4. दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी मुबारकनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
6. रमेश पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी मुबारकनगर तहसील उनियारा जिला टोंक


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 23 वर्ष 2015

वादी की ओर से वादी जहीर अहमद व प्रतिवादी की ओर से श्री बाबूलाल की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 8.6.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 124 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम अहमनगर तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8 माह 6 सन् 2015 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक